पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम कमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही–विवरण

कार्य परिषद् की 53 वीं बैठक
दिनांक 05 / 09 / 2016, दिन सोमवार
समय : 12:00 बजे पूर्वान्ह
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 53 वीं बैठक का कार्यवाही–विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की कार्य परिषद् की 53 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 05/09/2016, दिन सोमवार पूर्वान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **प्रो. देबाल कुमार सिंहरॉय** – सदस्य
   आचार्य
   समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
   नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा मनोनीत)

3. **श्री एस.के. चक्रवर्ती** – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

4. **श्री एस. एल. नायक** – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   नया रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)

5. **डॉ. बी.एल. गोयल** – सदस्य
   अतिरिक्त संचालक
   उच्च शिक्षा कार्यालय
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मनोनीत)

6. **डॉ. एस. आर. पटेल** – सदस्य
   अधिष्ठाता
   ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

7. **श्री ओ. पी. सिंघानिया** — सदस्य
62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
अग्रसेन मार्ग, भिलाई
जिला–दुर्ग (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

8. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह** — सदस्य
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

9. **डॉ. राजकुमार सचदेव** — सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

<u>निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –</u>

1. **उपाध्यक्ष** — सदस्य
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

2. **उपाध्यक्ष** — सदस्य
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

3. **सचिव** — सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)

4. **डॉ. एस. के. जाधव** — सदस्य
प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति जी के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव कं 1 **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 52 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।**

निर्णय – विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के द्वारा कार्यपरिषद् की 52 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव कं 2 विश्वविद्यालय कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोध कार्य अनुदान नियम, 2016 का अनुमोदन।

निर्णय – कार्यपरिषद् में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि नियम की कंडिका 4 क.4 में जोड़ा जायें कि " भारत देश के अंदर यदि किसी शिक्षक का शोध–पत्र सेमीनार के लिये स्वीकृत किया गया है या उसे आमंत्रित किया गया है तो उसका यात्रा–व्यय तथा पंजीयन शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा बशर्ते कि उसे आयोजित करने वाली संस्था से यात्रा–व्यय प्राप्त नहीं हो रहा है।

प्रस्ताव कं 3 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–2016 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 का अनुमोदन किया गया। वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति महोदय और राज्य शासन को प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।

प्रस्ताव कं 4 विगत वर्षो के विभिन्न पाठयक्रमों के उपाधि/पत्रोपाधि को छात्र– छात्राओं को प्रदान करने संबंधी राजभवन से प्राप्त पत्र की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई।

प्रस्ताव कं 5 अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति – श्री दीपक कुमार पाण्डेय, कम्प्यूटर प्रोग्रामर।

निर्णय – कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 6 परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन के चतुर्थ किस्त की राशि रू. 75 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन के चतुर्थ किस्त की राशि रू. 75 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि जब भवन हैंड ओवर/टेकंन ओवर हो, तब Verification पश्चात् अंतिम किश्त की राशि भुगतान किया जाये। Verification का कार्य शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/अधिकृत इंजीनियर से कराया जाये। छ.ग. गृह निर्माण मंडल को अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण कर भवन हैंड ओवर करने हेतु पत्र लिखा जाये।

प्रस्ताव कं 7 नया रायपुर में क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के लिये कार्यालय भवन उपलब्ध कराने हेतु एनआरडीए से प्राप्त पत्र पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि शैक्षिक कार्य (Educational Purpose) से जमीन आबंटन हेतु एनआरडीए को पत्र लिखा जाये।

प्रस्ताव कं 8 विश्वविद्यालय परिसर की 2900 मीटर लम्बाई बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन अनुसार रू. 1,24,81,600/– की प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा उक्त कार्य हेतु निर्धारित शासकीय दर के अनुसार प्राक्कलन प्राप्त कर खुली निविदा के तहत् कार्य विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्ण किया जाये।

प्रस्ताव कं 9 पिछले वर्षो के लिये स्वर्ण पदक वितरण समारोह आयोजित करने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा 21 अक्टूबर, 2016 को स्वर्ण पदक वितरण समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। समारोह में कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् एवं योजना मंडल के सम्मानीय सदस्यों को आमंत्रित किया जाये।

प्रस्ताव कं 10 Migratation/ Duplication Marksheet/ Marksheet Correction / Degree / Provisional Degree / Provisional Marksheet ऑन लाईन सेवा के अंतर्गत प्रदाय किये हेतु एम.पी.ऑनलाईन, भोपाल के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि चिप्स, रायपुर को "वन स्टाप पोर्टल" निर्माण से संबंधित राशि वापसी (ब्याज के साथ) हेतु विधिक नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया जाये।

प्रस्ताव कं 11 विद्या परिषद् की 20 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विद्या परिषद् की 20 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पर चर्चा के दौरान प्रस्ताव कमांक 02 में इस कार्यपरिषद् के प्रस्ताव कमांक 02 में लिये गये निर्णय को जोड़े जाने का निर्णय लिया गया साथ ही प्रस्ताव कमांक 06 में सत्रांत परीक्षा में निम्नानुसार उत्तीर्ण अंक संशोधित किया गया –

(क) स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र में 25 प्रतिशत।

(ख) स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में 30 प्रतिशत।

कार्यपरिषद् के द्वारा अन्य प्रस्तावों को यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव कं 12 जोखिम भत्ता रू. 400/– प्रदाय किये जाने संबंधी निर्णय पर पुर्नविचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा पुरानी व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव कं 13 छात्रहित में विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम शुल्क को दो किश्तों में जमा करने पर विचार

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा एक वर्ष के लिए यह व्यवस्था लागू करने की अनुमति प्रदान किया गया।

प्रस्ताव कं 14 संत्रात परीक्षा के ऐसे पाठ्यक्रम के प्रश्न–पत्र जहॉ प्रश्न विलोपित हुए है, उन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि 45 प्रतिशत से अधिक प्रश्न विलोपित होने की स्थिति में प्रश्न–पत्र को रद्द कर शेष प्रश्न–पत्रों में छात्रों को प्राप्त अंक के औसत को रद्द प्रश्न–पत्र के लिए अंक प्रदान किया जाये, साथ ही साथ ऐसे पेपर सेटर एवं माडरेटर जिनके 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्न विलोपित हो रहे है, उन्हें हमेशा के लिये विश्वविद्यालयीन परीक्षा कार्यो से Debar किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि जिन प्रश्न–पत्रों के 40–45 प्रतिशत से कम प्रश्न विलोपित हुये हैं, उन प्रश्नों के विलोपित होने के पश्चात् बचे हुये प्रश्नों के आधार पर अनुपातिक अंक प्रदान किया जाये।

प्रस्ताव कं 15 शुल्क वापसी नियम के कंडिका 2.2 में संशोधन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 16 उद्योगों (Industry) / **व्यावसायिक संस्थानों** (Business Orgnistation) **से S.R.F. (Social Responsibility Fund) के तहत् विभिन्न कार्यो हेतु सहायता प्राप्त करने पर विचार।**

निर्णय – कार्यपरिषद में निर्णय लिया गया कि **S.R.F. (Social Responsibility Fund)** तथा District Mining Fund (DMF) से विश्वविद्यालय के विकास हेतु विभिन्न व्यवसायिक एवं औद्योगिक संस्थानों को पत्र लिखकर इसके लिये उचित प्रयास किया जाये।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(राजकुमार सचदेव)	(बंश गोपाल सिंह)
कुलसचिव/सचिव	कुलपति/अध्यक्ष